राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई की बैठक दिनांक 01.10.2021 को अपरान्ह 01.00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थिति रहे :-

1– जिलाधिकारी हरदोई।
2– बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।
3– जिला वन अधिकारी, हरदोई।
4– जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
5– जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।
6– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, हरदोई।
7– जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई।
9– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई।
10– परियोजना प्रबन्धक, एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा कियान्वित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हरदोई हेतु अनुबंधित फर्म एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद को कुल 362 ग्राम पंचायतों के 645 राजस्व ग्रामों की सूची डी0पी0आर0 विरचन हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुकम में पूर्व में 101 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके है। अनुबंधित फर्म द्वारा 89 नग डी0पी0आर0 तैयार कर बैठक में स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है। एन0सी0सी0, लि0 हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का तकनीकी परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम) तथा जल निगम की गाइड लाइन के अनुसार उ0प्र0 जल निगम, हरदोई द्वारा कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि उपरोक्त आगणन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा दी गयी गाइड लाइन में योजना हेतु प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 निर्धारित की गयी है। प्रस्तुत समस्त 89 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 से कम है। डी0पी0आर0 के अन्तर्गत कार्य लागत में 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है, जो गाइड लाइन के अनुरूप है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा दी गई गाइड लाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज व्यय को राज्यांश में प्राविधानित किया गया है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि जिन डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत 6000.00 रू0 से कम है, उन्हें संस्तुति सहित स्वीकृतार्थ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दिया जायें। रू0 6000.00 प्रति व्यक्ति लागत से कम लागत के निम्नलिखित डी0पी0आर0 है।

क0सं0	विकास खण्ड	योजना का नाम	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	टडियावाँ	अमिठिया मसिनहाँ	316.04
1	टोडरपुर	अन्तौरा	297.26
2	भरखनी	बड़ौरा	339.51
3	शाहाबाद	वारी	319.96
4	शाहाबाद	वासितनगर	523.21
5	टोडरपुर	हैदरपुर	300.63
6	टडियावाँ	जगरौली	245.28
7	सण्डीला	जमसरा	431.07
8	अहिरोरी	जमुनिया	349.04
9	टोडरपुर	जसरथपुर	292.14

	कोथावाँ	झरोइया	471.31
[illegible]	माधौगंज	जजुवामउ	261.44
[illegible]	हरियावाँ	कपूरपुर चौधी	195.76
13	टड़ियावाँ	कुआमउँ सेमरौली	292.10
14	कछौना	महरी	646.51
15	सण्डीला	मखदूमपुर	273.24
16	पिहानी	निपनिया	281.33
17	टोडरपुर	परसई	478.29
18	कोथावाँ	पिपरी	599.79
19	भरावन	पिपरी नरायनपुर	273.54
20	हरियावाँ	रनियामउ	302.08
21	कछौना	समसपुर	486.91
22	भरावन	सुआगाड़ा तिगावाँ	284.11
23	माधौगंज	ठठिया नरायनमउ	361.03
24	सण्डीला	परिहावाँ शेखवापुर	360.99
25	भरखनी	पैतापुर पचरैया	432.07
26	बाबन	गंगौली	445.16
27	कोथावाँ	गौरी कोथावाँ	643.94
28	मल्लावाँ	हरैया साहिमपुर	327.25
29	टड़ियावाँ	जैराजपुर	552.71
30	टोडरपुर	कमालपुर	402.72
31	पिहानी	कोटरा	462.06
32	हरियावाँ	मरई	533.55
33	हरियावाँ	मुरादपुर	506.13
34	पिहानी	सरेहजू	607.54
35	पिहानी	तवक्कलपुर	558.23
36	हरियावाँ	टेनी	556.15
37	अहिरोरी	डही	421.72
38	कछौना	पटसेनी	610.63
39	कोथावाँ	सिकन्दरपुर	578.92
40	सुरसा	सिकन्दरपुर	262.22
41	अहिरोरी	गोपार	515.77
42	अहिरोरी	मदारा	612.57
43	बाबन	बरैला तिगावाँ	312.74
44	बाबन	उधरनपुर	406.39
45	भरावन	बम्हनौआ आलमशाह	324.34
46	भरावन	रामपुर अटवा	320.17
47	भरखनी	भौरापुर	286.06
48	बिलग्राम	जफरपुर तिगावाँ	424.07
49	हरियावाँ	बाबूपुर कचनारी	301.16
50	कछौना	कमालपुर	341.29
51	पिहानी	अरूआपारा	553.71
52	टोडरपुर	फतेहपुर गमन्द	384.52
53	बेहन्दर	उसरहा	332.27
54	सण्डीला	गोगवाँ उमराय	338.90
55	कछौना	गाजू	758.97
56	अहिरोरी	करीमनगर सैदापुर	632.61
57	कोथावाँ	नगवाँ	516.55

59	टोडरपुर	टुमुकी	694.90
60	बिलग्राम	बिरौरी	499.01
61	बिलग्राम	चौधरियापुर	318.86
62	साण्डी	जजवासी	418.02
63	हरियावाँ	कठेठिया	266.60
64	बिलग्राम	कोइलरा	271.43
65	माधौगंज	शुक्लापुर भगत	554.12
66	अहिरोरी	विक्टोरियागंज	617.68
67	माधौगंज	जलिहापुर	357.11
68	कोथावाँ	शाहपुर	565.99
69	अहिरोरी	सुनौआ पट्टीपुर	325.53
70	कछौना	कलौली	642.47
71	सण्डीला	जलालपुर	220.02
72	टोडरपुर	पोठवाँ	320.40
73	कछौना	खजोहना	658.31
74	कछौना	टिकारी	672.55
75	बेहन्दर	खेरवा	242.03
76	हरियावाँ	हिगुआपुर	182.89
77	हरियावाँ	जफरपुर	188.81
78	कोथावाँ	बहादुरपुर	203.53
79	पिहानी	ऐठाखेड़ा	270.08
80	शाहाबाद	असगरपुर	273.18
81	शाहाबाद	खनिगवाँकला	232.22
82	टोडरपुर	डिधिया	273.30
83	अहिरोरी	महमूदपुर	181.48
84	टोडरपर	मसिफना	184.72
85	शाहाबाद	नगला कल्लू	261.05
86	टोडरपुर	नेवादा चठिया	290.31
87	भरावन	परसा मोहिद्दीनपुर	646.12
88	हरियावाँ	सेवा	209.77
89	पिहानी	अमिरता	461.61

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के पत्रांक 2434 / डब्लू–314 / जे0जे0एम0–आई0एस0ए0 / 2020–21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जनपद हरदोई हेतु 5 इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी नामित की गयी हैं। जिनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का क्लस्टर(पाईप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं संचालन/ अनुरक्षण हेतु)तैयार कर आवंटित किया जाना है। क्लस्टर आवंटन हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 368 / ल0सि0 / जिला पेयजल स्व0मि0 / 2020–21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा जनपद हरदोई के लिए नामित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी को अपना इम्पलीमेंटशन प्लान तथा मानव संसाधन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत मानव संसाधन की दक्षता प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 695 / का–70 / 38 दिनांक 15.03.2021 द्वारा टीम का गठन किया गया। इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत मेन पावर की सूची में अंकित कर्मचारियों की दक्षता का प्रमाणीकरण उक्त गठित कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें चेतना सेवा संस्थान, ग्राम कमौरा पोस्ट धमोरा, तहसील मिलक, रामपुर (केटेगरी–ए), देवऋषि एजुकेशनल सोसाइटी, केयर ऑफ ए0एम0एस0 कैम्पस, नियर नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड (केटेगरी–ए) एवं एक्शन फॉर रूरल डवलपमेन्ट 154 ए, जाफरा बाजार निकट सब्ज पोस हाउस गोरखपुर (केटेगरी–सी) द्वारा प्रस्तुत मेन पावर की सूची में अंकित कर्मचारियों की दक्षता मानक के अनुसार पायी गयी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता

न द्वारा चेतना सेवा संस्थान, ग्राम कमौरा पोस्ट धमोरा, तहसील मिलक, रामपुर (केटेगरी–ए), देवऋषि एजुकेशनल सोसाइटी, केयर ऑफ ए0एम0एस0 कैम्पस, नियर नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड (केटेगरी–ए) एवं एक्शन फॉर रूरल डवलपमेन्ट 154 ए, जाफरा बाजार निकट सब्ज पोस हाउस गोरखपुर (केटेगरी–सी) को एक–एक नग क्लस्टर आवंटित करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–अधिशासी **अभियन्ता जल निगम)**

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्र संख्या 1641 / डब्लू–314 / बी0ओ0एल0–5 / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 2333 / का–70 / 304 दिनांक 29.9.2021 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि जिन ग्राम पंचायतों / ग्रामों का आवंटन आई0एस0ए0 को किया गया है, उन ग्राम पंचायतों / ग्रामों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) / पानी समिति का गठन करते हुए फीडिंग कराये जाने का उत्तरदायित्व जल निगम का होगा एवं जिन ग्राम पंचायतों / ग्रामों में आई0एस0ए0 का गठन वर्तमान तक नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों / ग्रामों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) / पानी समिति का गठन कराते हुए फीडिंग कराये जाने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। उपरोक्त आदेशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि कुल 80 ग्राम पंचायत के 115 राजस्व ग्रामों हेतु आई0एस0ए0 नामित की जा चुकी है। जिनमें ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) / पानी समिति का गठन करते हुए फीडिंग का कार्य आई0एम0आई0एस0 पोर्टल पर कराया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष ग्राम पंचायतों / ग्रामों में सात दिन के अन्दर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) / पानी समिति का गठन कराते हुए फीडिंग कराये जाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- भूगर्भ जल आधारित पाईप पेयजल योजनाओं हेतु पुनर्ग्रहीत भूमियों के समतलन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद की सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी स्तर से निःशुल्क प्राप्त हो रही भूमि के सर्वेक्षण इत्यादि के उपरान्त कार्यो के सम्पादन हेतु चयनित संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि विरचित किये गये डी0पी0आर0 हेतु पुनर्ग्रहीत भूखण्ड उबड़–खाबड़ है एवं समतल नहीं है जिससे उनमें मिट्टी भराव कराये जाने की आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा चयनित संस्था एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद से प्राप्त सूची के अनुसार राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से स्वीकृत किये गये कुल 84 नग डी0पी0आर0 के अन्तर्गत 57 नग भूमि प्रस्तावों के भूखण्ड उबड़–खाबड़ है एवं समतल नहीं पाये गयें है उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्र संख्या 1307 / जे0जे0एम0 / इवेन्ट / 2020–21 दिनांक 27.08.2021 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि भूमि समतलन एवं उसमें मिट्टी भराव का कार्य पन्द्रहवें वित्त आयोग हेतु निर्गत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्राविधान होने के कारण तदनुसार कार्यवाही पूर्ण करा ली जाये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त निर्देश के आलोक में सम्बन्धित को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया जाये।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा तैयार किये गये 02 नग कवर अनुबंधों के अन्तर्गत (कुल 55 नग पेयजल योजना)एग्रीमेंट के अनुसार चयनित संस्था एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद द्वारा कार्य कराये जाने हैं, जिसमें 40 नग परियोजनाओं की भूमि पर पूर्व से पेड़ लगे हुए पाये गये हैं, जिनकों सर्वप्रथम काटे जाने की आवश्यकता है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला वन अधिकारी हरदोई को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम हरदोई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार परियोजनाओं हेतु भूमि में उपजे हुए बृक्षों का मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये तथा जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से जलकल परिसर में स्थित पेडों की कटान सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–जिला वन अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता जल निगम / जिला पंचायत राज अधिकारी)

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद हरदोई हेतु सर्वप्रथम 406 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शासन के निर्देशों के उपरान्त 406 राजस्व ग्रामों में आने वाली ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व

[illegible] को सम्मिलित करते हुए कुल 362 ग्राम पंचायतों के 645 राजस्व ग्रामों में योजनाओं के विरचन का कार्य किया जाना है। जिसके सापेक्ष तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय से वर्तमान तक कुल 250 ग्राम पंचायतों के 430 नग राजस्व ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हो चुकें हैं, वर्तमान में 112 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 215 राजस्व ग्रामों के भूमि के प्रस्ताव उप जिलाधिकारी स्तर से प्राप्त होना शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष राजस्व ग्रामों हेतु भूमि के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराये जाने विषयक समस्त उप जिलाधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाये एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से संशोधित लक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने विषयक पत्राचार किया जाये।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता **जल निगम**)

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
हरदोई।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) हरदोई।

पृ0सं0 25'25 / आ०:70 / 357 दिनांक 12/10/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।
2– जिला विकास अधिकारी हरदोई।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदया हरदोई।
4– जिलाधिकारी, महोदय हरदोई।
5– अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, 6–राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
हरदोई।